

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

No. I-14011/15/2014-IPS.I(II)
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

10 MAR 2015

New Delhi, the March, 2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Punjab Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Punjab Cadre under sub- rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2013

Sl.No.	Name of the officer (Shri)	Date of Birth
1.	Sukhwant Singh Gill	08.09.1966
2.	Jaspreet Singh Sidhu	29.08.1963
3.	Gurmeet Singh Chauhan	31.01.1968
4.	Naveen Saini	18.11.1967
5.	Sukhminder Singh	04.02.1968

2. The aforesaid appointments will be subject to the decision of the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in CWP No. 13203/2013 filed by Shri Ajay Maluja and CWP No. 6801/2013 filed by Shri Gurdial Singh and Ors Vs State of Punjab & Ors regarding the seniority of officers in the State Police Service.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

(Harish Chandra Rai)
Under Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 2527

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Faridabad (Haryana)

No.I-14011/15/2014-IPS.I(II)

10 MAR 2015

Dated, the March, 2015

A copy each is forwarded to: -

1. The Chief Secretary, Government of Punjab, CHANDIGARH. {Kind Attn. Shri. R. K. Kaushik, Spl.Secretary (Home)} with the request that the officers concerned may be provided a copy of the Notification.
2. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, **NEW DELHI.** (Kind Attn:Shri Shailesh Kumar, Under Secretary, AIS) for information.
3. The Accountant General, Punjab, CHANDIGARH.
4. The Director General of Police, Punjab, CHANDIGARH.
5. IPS- II, III, IV / ACR Cell / Civil List Seat / Seniority Seat.

✓ 6. SO(IT) for uploading this notification on the website of MHA.

(Harish Chandra Rai)
Under Secretary to the Government of India

{भारत के राजपत्र , भाग 1, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ }

आई-14011/15/2014-आई पी एस-1 (II)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक मार्च , 2015

10 MAR 2015

अधिसूचना

राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत पंजाब संवर्ग प्रदान करते हैं।

चयन सूची 2013

क्रमसं 0	अधिकार्यों के नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1	सुखवंत सिंह गिल	08/09/1966
2	जसप्रीत सिंह सिद्धु	29/08/1963
3	गुरमीत सिंह चौहान	31/01/1968
4	नवीन सैनी	18/11/1967
5	सुखमिंदर सिंह	04/02/1968

2 उपयुक्त नियुक्तियां श्री अजय मलूजा एवं श्री गुरदयाल सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयचंडीगढ़ में दायर सिविल रिट याचिका संख्या 13203/2013 एवं सिविल रिट याचिका संख्या 6801/2013 जो वरीयता निर्धारण से संबंधित है, के परिणाम के अध्यधीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी ।

(हरीश चंद्र राय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 2309 2527

सेवा में,


प्रबंधक ,

भारत सरकार मुद्रणालय ,

फरीदाबाद हरियाणा ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

- 1 मुख्य सचिव, पंजाब शासन, चण्डीगढ़ {ध्यानार्थ : श्री आर० के० कौशिक, विशेष सचिव, गृह विभाग} इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए ।
- 2 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ : श्री शैलेश कुमार, अवर सचिव, ए०आई०एस०) धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली ।
- 3 महालेखापाल, पंजाब, चण्डीगढ़ ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, पंजाब, चण्डीगढ़ ।
- 5 आई० पी० एस० II/III/IV ए०सी०आर० सेल, सिविल लिस्ट सीट, वरिष्ठता सीट ।
- 6 अनुभाग अधिकारी (आई टी प्रकोष्ठ) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु ।


(हरीश चंद्र राय)
अवर सचिव, भारत सरकार